JPP, Vol. XXIII, No.II, April 25-Sept.25, ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411, Impact Factor 8.858
https://doi.org/10.31995/rjpp.2025.v23i02.028

लैंगिक असमानता एवं नारी सशक्तिकरणः एक मूल्यांकन (भारतीय समाज के संदर्भ में)

डॉ0 प्रदीप कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान विभाग)
संजय गांधी (पी0जी) कॉलेज, सरूरपुर खुर्द
ईमेल:drpradeepkumar1410@gmail.com

सारांश

भारत में जनसंख्या की दृष्टि से लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की है। पौराणिक काल में नारी को पूज्नीय माना गया, परन्तु सभ्यता के विकास के साथ विभिन्न ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक कारणों से नारी समुदाय सभी क्षेत्रो में लैंगिक असमानता का शिकार हो गया। इस विषमता में पितृतंत्र से जुडी संस्थाओं, श्रम–विभाजन एवं बाजारवाद की अहम भूमिका रही।

विगत दशकों में राज्य की नीतियों, निर्णय, योजनाएँ एवं कार्यक्रमों के निर्धारण तथा क्रियान्वयन से कुछ क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक बदलाव आये है। इसी के दृष्टिगत अद्यतन नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया है ताकि स्वयं के प्रतिनिधि एवं स्वयं के संदर्भ में निर्णय लेने के अधिकार महिलाओं को प्राप्त हो। इस राजनीतिक सहभागिता से निश्चित ही नारी सशक्तिकरण का कार्य सम्पन्न होगा।

मुख्य शब्द

लैंगिक असमानता की संकल्पना, लैंगिक असमानता के कारक एवं आयाम, नारी सशक्तिकरण संकल्पना, राज्य की भूमिका, स्थानीय स्वशासन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, निष्कर्ष एवं भविष्य।

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 15/09/25
Approved: 28/09/25

डॉ0 प्रदीप कुमार

लैंगिक असमानता एवं नारी सशक्तिकरणः एक मूल्यांकन (भारतीय समाज के संदर्भ में)

RJPP Apr.25-Sept.25,
Vol. XXIII, No. II,
Article No. 28
Pg. 213-218

Online available at:
https://anubooks.com/journal-volume/rjpp-sept-2025-vol-xxiii-no2-261

https://doi.org/10.31995/rjpp.2025.v23i02.028

प्रस्तावना

नारी की स्थिति ही किसी राष्ट्र या सामाज की दशा एवं दिशा का निर्धारण करती है। विदित है कि वर्तमान में भारत की जनसंख्या लगभग 1.4 अरब है। इसमें लगभग आधी जनसंख्या नारी समुदाय की है। भारत में पौराणिक काल से ही नारी को पूज्नीय माना गया है तथा नारी का महिमामंडप शक्तिस्वरूपा एवं वंदनीय रूप में हुआ है। तत्समय् प्राचीन धर्मग्रंथो में उल्लिखित सूत्र वाक्य ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्तें रमन्ते तंत्र देवता'' नारी की सुदृढ स्थिति को दर्शाता है। कालान्तर में सभ्यता के विकास के साथ विभिन्न ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक कारणों से समाज का स्वरूप पितृतंत्रात्मक हो गया। यद्यपि गत दशकों में नारी की स्थिति में कुछ क्षेत्रों में सम्मानजनक एवं सकारात्मक बदलाव आये है, परंतु अधिकांश क्षेत्रों में नारी की स्थिति उपाश्रित वर्ग की बनी हुई है। पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक सहभागिता से संबधित वृहत संसूचक समाज में नारी की कमजोर स्थिति को दर्शाते है। इसमें पितृतंत्र से जुडी संस्थाओं, श्रम विभाजन और बाजार–समाज से जुडी मान्यताओं की भी भूमिका है। मार्क्स ने कहा था कि "स्त्रियों की सामाजिक स्थिति से सामाजिक प्रगति के विविध आयामों को मापा जा सकता हैं।"[1] अतः अब आवश्यक है कि लैंगिक असमानता की संकल्पना को स्पष्ट कर लिया जाये।

लैंगिक असमानता की संकल्पना

लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर नारी के साथ भेदभाव से है। जेंडर की अवधारणा नारी एवं पुरुष के बीच सामाजिक रूप से निर्मित भिन्नता के विविध पक्षों पर ध्यान आकर्षित करती है। अद्यतन इसका प्रयोग सांस्कृतिक आदर्शों तथा पुरूषत्व एवं स्त्रीत्व संबंधी धारणाओं तथा संरचनात्मक अर्थों में संस्थाओं और संगठनों में लैंगिक श्रम विभाजन के रूप में किया जाता है।[2] परंपरागत रूप से नारी को समाज में असहाय, अबला एवं कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता रहा है। महिलाएँ दुनिया की कुल जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा है। इसी कारण से लैंगिक विभेद के व्यापक एवं दूरगामी प्रभाव परिलक्षित होते हैं। इससे समाज के हर स्तंभ पर प्रभाव उत्पन्न होता है।

लैंगिक असमानता के कारक एवं आयाम

सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रगति के बावजूद अद्यतन भारतीय समाज में पितृ सत्तात्मक मानसिकता जटिल रूप में विद्यमान है। इसके कारण महिलाओं को आज भी एक जिम्मेदारी माना जाता है। महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पारिवारिक रुढ़ियों के कारण विकास के कम अवसर मिलते हैं। जिससे उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। नेतृत्व भूमिका और निर्णय प्रक्रिया मुख्य रूप से पुरूष प्रधान बनी हुई है। इससे महिलाओं के लिए अवसर सीमित हो गए है।

समाज में महिलाएँ शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवसर एवं राजनैतिक नेतृत्व जैसे न्यायपरक मूल्यों में विषमता का शिकार है। स्त्री–पुरूष गैर बराबरी के इन्ही चार आयामों को मानक बनाकर वैश्विक लैंगिक अन्तराल सूचकांक द्वारा जारी आंकडें दर्शाते है कि इस समय भारत लगभग 150 देशों की सूची में लगातार 100 से नीचे स्थान पर रहा है। इसी वर्ष अप्रैल माह में मैपिंजी ग्लोबल इंस्टीटयूट द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि देश की नारी को आर्थिक क्षेत्र में समानता का

अवसर मिलने पर भारत की जी.डी.पी. में 770 अरब डालर अथवा 18 प्रतिशत की वृद्धि हो सकेगी। इस समय भारत में कुल श्रम–बल में लगभग 25 प्रतिशत नारी समुदाय की भागीदारी है एवं देश की जी.डी.पी. में महिलाओं का योगदान लगभग 18 प्रतिशत है, यह दुनिया में सबसे कम है। इन्ही के दृष्टिगत पूर्व में प्रदत्त स्थानीय निकायों में नारी के राजनीतिक नेतृत्व की तरह ऐतिहासिक संविधान संसोधन द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की लोक सभा एवं राज्य विधानसभाओं में एक–तिहाई सीटे महिलाओं के लिए आरक्षित करके उनके राजनीतिक नेतृत्व को सशक्त करने का कार्य किया गया है।[3]

नारी सशक्तिकरण संकल्पना

महिला सशक्तिकरण एक सर्वागीण संकल्पना है। इसके अन्तर्गत स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, निवेश, नियोजन, कौशल विकास एवं राजनीतिक प्रतिभाग जैसे सभी क्षेत्रों में पर्याप्त संसाधनो का आवंटन तथा निर्णय प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी सम्मिलित है। गत् दशकों में महिलाओं ने कला, ज्ञान–विज्ञान, खेलकूद, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा तथा सार्वजनिक जीवन सहित सभी क्षेत्रों में उपलब्धि एवं मापदंडो को छुआ है। आज भारत में ऐसा कोई क्षेत्र नही है, जहाँ महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज न कराई हो। अधतन् रक्षा क्षेत्रों में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान किया गया है। भारत में विश्व की सबसे अधिक कमर्शियल महिला पायलट है। आज भारत ग्लोबल साऊथ की आवाज बन रहा है। भारत की समृद्धि एंव विरासत आज दुनिया के लिए एक आवाज बन रही है।[4]

महिला सशक्तिकरण से के माध्यम से महिलाओं में आत्मशक्ति की भावना, स्वयं के विकल्पों को निर्धारित करने की क्षमता, स्वयं और दूसरों के लिए सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए अधिकार एवं समानता तथा उपलब्धियों के प्रति जागरूकता सुनिश्चित हुई है। सशक्तिकरण से आशय सत्ता प्रतिष्ठानों में स्त्रियों की सक्रिय एवं सतत् भागीदारी से भी है। वस्तुतः स्त्रियों को वस्तुनिष्ट तौर पर ऐसी सुविधाएं दी जाए, जिसके सहारे वे अपने व्यक्तित्व का स्वेच्छा से निर्माण कर सके। अतः उनके लिए शिक्षा, नियोजन, आर्थिक संसाधनों के साथ ही राजनीतिक सहभागिता एवं स्थानीय, राज्य तथा केन्द्र के स्तर पर राजनीतिक नेतृत्व का अवसर अपरिहार्य है। इससें वे अपनी सृजनशीलता से प्रगति एवं विकास के नए मापदंड निधारित कर सकेगी।[5]

महिलाओं की प्रगति, उन्नयन एवं आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, विशेषकर राजनीति में उनका सशक्तिकरण हो, उनकी सहभागिता का स्तर ऊँचा हो। ऐसा होने पर ही लैंगिक आधार पर एक समतामूलक समाज की स्थापना होगी। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण हेतु तीन आधारभूत सिद्धांतो को अनिवार्य माना जा सकता है।

1. स्त्री–पुरूष के मध्य समानता।
2. स्वयं की क्षमता के पूर्ण विकास का अधिकार।
3. स्वयं के प्रतिनिधि एवं स्वयं के संदर्भ में निर्णय लेने का महिलाओं को अधिकार।

असमानता पर आधारित लैंगिक सम्बंधों में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक है कि वर्तमान वैश्विक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में सत्ता एवं शक्ति के मुख्य बिंदुओ यथा राज्य, बाजार तथा

नागरिक समाज का नेतृत्व करने के लिए महिलाएं आगे आये। स्वयं को प्रभावित करने वाली योजनाओं तथा नीतियों को अपने अनुकूल निर्मित करवाने के लिए महिलाओं को सत्ता के गलियारें में अपनी मजबूत उपस्थिति बनानी होगी और ऐसी शक्ति अर्जित करनी होगी, कि वे स्वयं के संदर्भ में लिए जाने वाले निर्णयों को प्रभावित कर सके।

राज्य की भूमिका

स्वतंत्रता उपरान्त से अधतन् तक व्यस्थापिका एवं सरकारों द्वारा संविधान एवं संशोधनो के माध्यमों से नारी हितार्थ कार्यरत रही तथा परिणामतः उनके लिए अनेक योजनाएं तथा कानून अस्तित्व में आये है। इसमें न्याय पालिका की भूमिका लिंग समानता के दृष्टिकोण से सकारात्मक रही है। अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956, दहेज निषेध अधिनियम 1961, स्त्री प्रथा (निवारण) अधिनियम 1961, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण अधिनियम 2001, घरेलु हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 सहित अनेक प्रांवधान उनके हितार्थ बनाये गये है। नारी की शारीरिक संरचना, सृष्टि सृजन में निरंतरता तथा जीवन निर्वाह के दृष्टिगत रोजगाररत् महिलाओं के लिए विशिष्ट प्रावधान भी बनाये गये है। भारत में नारी से सम्बंधित समस्याओं के दृष्टिगत् राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी, 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अंतर्गत किया गया। यह उनके हितों के संरक्षण, संवर्धन और वैधानिक अधिकारों की रक्षा का एक सवैधानिक निकाय है। जल जीवन मिशन, बेटी बचाओं बेटी पढाओं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अनेक योजनाएं तथा कार्यक्रम उनके हितार्थ अस्तित्व में है।

स्थानीय स्वशासन

स्थानीय स्वशासन शासन की वह व्यवस्था है, जिसमें स्थानीय स्तर पर प्रशासन में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित कर उनकी समस्याओं को समझने तथा उनका निस्तारण करने का प्रयास किया जाता है। स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था एक और लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित करती है, वही दूसरी ओर नागरिको को स्वयं अपनी समस्याओं का निस्तारण करने का मार्ग प्रशस्त करती है।

पंचायती राजव्यवस्था भारत के लिए नई नही है। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायतों का अस्तित्व रहा है। ब्रिटिश काल में भी इसे जारी रखा गया तथा इसे सुदृढ करने के लिए अनेक प्रयास किए गए। अधतन् सन् 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व में पारित 73वे तथा 74वे संविधान संशोधनो द्वारा पंचायतो तथा नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके माध्यम से स्थानीय स्वशासन के लिए मूल भाग 9 में पंचायत निकाय तथा भाग 9क मे नगरनिकायों की व्यवस्था की गयी है। इनसे सम्बंधित अनुसूची 11 तथा अनुसूची 12 को भी जोडा गया है।[6]

पंचायत निकाय में व्यवस्था है कि प्रत्येक पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसी प्रकार शहरी स्थानीय निकाय मे भी संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत व्यवस्था है कि व्यस्क मताधिकार के आधार पर भरे जाने वाले स्थानों में एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनका आवंटन चक्रानुक्रम किया जायेगा।

स्थानीय निकायों में महिलाओं को प्राप्त भागीदारी अब धीरे–धीरे प्रतीकात्मक से वास्तविकता का रूप ले रही है। स्थानीय निकाय में प्राप्त भागीदारी से इन महिलाओं में अब अधिकार चेतना एवं दायित्व का बोध जागृत हो रहा है तथा इस विकेन्द्रीत लोकतांत्रिक व्यवस्था में वे अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम :–

स्थानीय निकायो में महिलाओं के राजनीतिक नेतृत्व को महिला सशक्तिकरण के दृष्टिगत अब लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं तक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से विस्तृत रूप देने का कार्य कर ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। भारत की जनसंख्या में महिलाओं की संख्या लगभग आधी है। देश के सतत् और समतावादी विकास के लिए सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण में उनके सकारात्मक विकास तथा सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना अपरिहार्य है। विविधता, प्रतिभा और अंतदृष्टि लाने के लिए शासन–प्रशासन का नारीकरण बेहद अहम है। संसद एवं राज्य विधान सभाओं में जेंडर बजटिंग सरीखे जन–नीति के नवाचारों पर तर्कसम्मत विमर्श के लिए सदनों में महिलाओं की उपस्थिति अपरिहार्य है।

महिला सांसदो की लोकसभा में हिस्सेदारी सन् 1952 में 4 प्रतिशत से बढकर सन् 2019 में लगभग 15 प्रतिशत तक पहुँच गई है। उच्च सदन में भी इनकी लगभग यही स्थिति है। राज्यों के संदर्भ में स्थिति चिंताजनक है। लगभग 19 राज्यों में इनका प्रतिनिधित्व 10 प्रतिशत से भी नीचे है। यह वैश्विक औसत 26 प्रतिशत से काफी कम है। हालांकि मतदाताओं के रूप में इनका मतदान प्रतिशत पुरूषों से ज्यादा है। सन् 1962 में लोकसभा चुनाव में पुरूष एवं स्त्रियों का मतदान प्रतिशत क्रमशः 62 तथा 46.6 प्रतिशत था, लेकिन सन् 2019 के चुनाव में पुरूष–स्त्री मतदान प्रतिशत क्रमशः 67 प्रतिशत तथा 67.2 प्रतिशत रहा था।[7]

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर सर्वोच्च स्तर पर सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागेदारी को संस्थानिक रूप देने की कोशिश की है। यह अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक–तिहाई स्थान आरक्षित करेगा। यह लैंगिक समानता और समावेशिता के प्रति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे महिला नेतृत्व को बढावा मिलेगा एवं महत्वपूर्ण निर्णय लेने में राष्ट्र की आधी आबादी को प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। देश की संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के निराशाजनक प्रतिनिधित्व के साथ यह पिछले तीन दशको से प्रतीक्षारत् था। यह पूर्व में संसद में सन् 1996, 1998, 2002, 2003 एवं सन् 2010 में विधेयक के रूप में लाया गया था, परंतु विभिन्न राजनीतिक कारणों एवं इच्छा तथा स्वार्थपरक हितो के कारण अधिनियम नही बन सका था।

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक–तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित करने के अलावा इस अधिनियम में यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानो में से एक–तिहाई स्थान इन्ही वर्गो की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इस अधिनियम को विधेयक के रूप में केन्द्रीय कानून एवं न्यायमंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा संसद में रखा गया। संसद में इस संविधान संसोधन विधेयक (128वा संसोधन, बाद में इसे

सुधार कर 106वा संसोधन कर दिया गया) पर विमर्श के समय केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि 2024 के आम चुनाव के बाद नई सरकार जनगणना और परिसीमन कराएगी एवं सन् 2029 तक इस पर अमल हो जाएगा।

निकर्ष एवं भविष्य

संसाधनों के प्रबंध, आधारभूत संरचना, उत्पादन प्रक्रिया, आर्थिक विषमता, नीति निमार्ण एवं निर्णय प्रक्रिया में असमान सहभागिता आदि ऐसी मूलभूत समस्याएँ है, जिसके बिना महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य पूरा होने में संदेह है। यद्यपि भारत सम्पूर्ण विश्व में अपनी सांस्कृतिक अस्मिता और अलग पहचान के लिए विख्यात है। इस संस्कृति का एक पुरातन मंत्र है– 'न दैव्नं न पलायनम' अर्थात भागो नही दुनिया को बदलो।

महिला सशक्तिकरण किसी व्यक्तिगत उन्नति तक आधारित न होकर एक शांतिपूर्ण, उन्नत, विकसित एवं खुशहाल समाज, राष्ट्र तथा विश्व के निर्माण के लिए अपरिहार्य है। समस्त प्रयासों उपरान्त दृष्टिगत होता है कि भविष्य में लैंगिग समानता एवं नारी सशक्तिकरण सहित न्यायोजित समतामूलक, लोकतांत्रिक एवं विकसित राष्ट्र का भारत का सपना निश्चित रूप से साकार होगा।

संदर्भ

1. सिंह, डॉ0 निशांत, स्त्री सशक्तिकरण, खुशी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2012 पृ० सं०–119.
2. रावत, हरिकृष्ण, समाजशास्त्र विश्वकोष, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2001, पृ० सं०–147.
3. इण्डिया टुडे (4 अक्टूबर 2023), नई दिल्ली, पृ० सं०–22.
4. कुरूक्षेत्र (सितम्बर 2023) नई दिल्ली पृ० सं०–39.
5. वर्मा, प्रो० (डा०) सवलिया बिहारी, सोनी, डा० एम० एल०, (2005), महिला जागृति और सशक्तिकरण, आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर, पृ० सं०–291, 292
6. काश्यप, सुभाष, हमारा संविधान (2021), राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, नई दिल्ली, पृ० सं०–312.
7. इण्डिया टुडे (4 अक्टूबर 2023), नई दिल्ली, पृ० सं०–22.